वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या 230/XVII-02/09-बजट10(18) 2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 16 अप्रैल, 2009

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 15 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 205/XXVII/(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान (01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009) के अनुदान संख्या 15 के आयोजनागत पक्ष में संलग्नानुसार रू0 9,27,81,000/- (रू0 नौ करोड़ सत्ताईस लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

2. लेखानुदान द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वे वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।

7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

10. समस्त उपकरण व संयत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।

11. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. छठे वेतन आयोग की संस्तुति के लाभ होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि से नहीं किया जायेगा, तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के देय 40 प्रतिशत वेतन एवं अन्य भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकी हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत्त होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।

13. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या २३०/XVII–02/09–बजट 10(18)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–102–07–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102–बाल कल्याण
उप शीर्षक : 07–संस्थानों / गृहों का संचालन
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
01–वेतन	133
03–महंगाई भत्ता	29
06–अन्य भत्ते	15
09–विद्युत देय	3
41–भोजन व्यय	100
योग	280

(रू0 दो लाख अस्सी हजार मात्र)

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–103–91–01
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 103–महिला कल्याण
उप शीर्षक : 91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 01–निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता	13333
योग	13333

(रू0 एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–09–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 09–विकलांगों के लिए छात्रवृत्तिया/छात्रवेतन
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
21–छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन	667
योग	667

(रू0 छः लाख सड़सठ हजार मात्र)

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–91–03
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101–विकलांग व्यक्तियो का कल्याण
उप शीर्षक : 91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 03–नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	45000
योग	45000

(रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–103–91–04
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 103–महिला कल्याण
उप शीर्षक : 91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 04–महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	167
योग	167

(रू0 एक लाख सड़सठ हजार मात्र)

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–60–102–03–91
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
लघु शीर्षक : 102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
उप शीर्षक : 03–वृद्धावस्था / किसान पेंशन
ब्यौरेवार शीर्षक : 91–सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन (जिला योजना)

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
33–पेंशन / आनुतोषिक	31667
42–अन्य व्यय	1667
योग	33334

(रू0 तीन करोड़ तैतीस लाख चौतीस हजार मात्र)

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या–15 (आयोजनागत) का महायोग	92781

(रू0 नौ करोड़ सताईस लाख इक्यासी हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
सचिव।